(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 27-एक/2017 अपील - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-11-2016- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर - प्रकरण क्रमांक 179/2010-11 बी-121 अपील

सुखमनदास मोंगरे पुत्र स्व. कोसादास मोगरे
ग्राम विलगॉव तहसील बिछिया जिला मण्डला ——अपीलांट

विरूद्ध

1- अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2- अपर कलेक्टर जबलपुर
3- अनुविभागीय अधिकारी बिछिया
4- कामताप्रसाद पुत्र सुखराम सोनी
निवासी मबई तहसील विछिया जिला मण्डला ——रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलांट के अभिभाषक श्री सतेन्द्र गौतम)
(रिस्पा. की ओर से कोई नहीं)

आ दे श

(आज दिनांक 07- 12-2018 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 179/2010-11 बी-121 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर मण्डला के समक्ष प्रस्तुत हुई शिकायत के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी बिछिया ने ग्राम बिलगॉव की भूमि सर्वे क्रमांक 5/2, 22/1, एंव ग्राम रमतिला की भूमि सर्वे क्रमांक 13/2, 38/2, 54/1, 63/2, 237 के सम्बन्ध में जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम विलगॉव में सुखमनदास पि. कोसादास के नाम दर्ज भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 22 रकबा 1.27 है. नामान्तरण पंजी वर्ष 1990 नामान्तरण क्रमांक 1 में दर्ज विवरणानुसार नायव तहसीलदार मवई के प्र.क्र. 5 अ-19/89-90 के अनुसार नामांतरित कर दी गई। उक्त प्रकरण एंव प्रकरण पंजी अनुपलब्ध है तथा अनावेदक पक्ष व्दारा पट्टे की मूल प्रति भी

पेश नहीं की गई। वर्तमान में उक्त भूमि में से सुखमानदास पि. कोसादास के नाम ख. नं. 22/1 रकमबा 0.77 है. है तथा सुखमनदास व्दारा भूमि विक्रय करने से ख.क्र. 22/2 रकबा 0.50 है. भूमि क्रेता रोहनलाल कछवाहा व. मायाराम, अरबिन्द कुमार पि. गणेशप्रसाद अग्रवाल साकिन सकवाह के नाम पर दर्ज है। मिसल बंदोवस्त 85-86 में उक्त भूमि का ख.नं. 6/1 रकबा 1.27 है. मद घास (म.प्र.शासन) दर्ज है जो कि अनाधिकृत रूप से धारा 237 (2) म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 के तहत बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के मद परिवर्तन के सीधे भूमिस्वामी हक में दर्ज होने से भूमिस्वामी हक से प्रथक कर पुनः घास (म.प्र.शासन) में दर्ज किया जाना उचित होगा।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर मण्डला के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 179/10-11 बी-121 पॅजीबद्ध हुआ तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 22-11-10 पारित किया गया एंव अनुविभागीय अधिकारी विछ्या व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को मानते हुये कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 179/2010-11 बी-121 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 से अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखते हुये अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। रिस्पा. सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलांट के विरूद्ध रिस्पा. क्र-4 ने शिकायत की है जो ग्राम विलगॉव का निवासी नहीं है एंव आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर उनकी जमीन हड़पने के प्रयास में है। मौजा बिलगॉव की भूमि खसरा नंबर 22/1 रकबा 0.77 के वह 1989-90 से मालिकाना हक प्राप्त कृषक हैं। मौजा रमतिला निवासी सुकरती वाई पत्नि बाबूलाल के नाम पर राजस्व अभिलेख में रममिता की भूमि सर्वे नंबर 54/1, 237, 13/2, 38/2 है तथा राजिमावाई के नाम भूमि सर्वे नंबर 5/2 हैक्टर , ग्राम रमतिला में 63/2 हैक्टर कृषि भूमि है । अपीलांट का विवाह ग्राम रमतिला निवासी बाबूलाल की लड़की राजिमा वाई के साथ हुआ है। राजिमा वाई की मॉ सुकरती थी एंव राजिमा वाई पिता की इकलौती

संतान होने से वारिस रही है जिसके आधार पर विरासत में प्राप्त जमीन उनके नाम है। अपीलांट दोषी नहीं है अनुविभागीय अधिकारी विछिया का प्रतिवेदन एकपक्षीय होकर गलत आधारों पर आधारित है जिस पर अपर कलेक्टर ने एंव अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने अपील स्वीकार करने की मांग रखी।

5/ अपीलांट के अभिभाषक के तर्को के क्रम में अधीनस्थ न्यायालाय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि कलेक्टर मण्डला को प्राप्त शिकायत पर से अनुविभागीय अधिकारी बिछिया ने ग्राम बिलगॉव की भूमि सर्वे क्रमांक 5/2, 22/1, एंव ग्राम रमतिला की भूमि सर्वे क्रमांक 13/2, 38/2, 54/1, 63/2, 237 के सम्बन्ध में अभिलेख की जांच की है एंव अपीलांट को मय अभिलेख के सुनवाई हेतु आहुत किया है। अनुविभागीय अधिकारी विछ्या व्दारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि -

- **सुखमनदास मोगरे को 1975 में 20 सूत्रीय जमाने का कोरा पट्टा हस्ताक्षरयुक्त मिल गया जिसमें अपने परिवार का 8 या 9 पट्टा भरा एंव अन्य पचासों लोगों को आर्थिक लाभ लेकर दिया और पटवारी से घास जमीन का खसरा नंबर लेकर पट्टा में चढ़ाकर पटवारी के राजस्व रिकार्ड में चढ्वाकर एंव प्रमाणिकरण अधिकारी से बिना सन संबत लिखे पट्टा देखा दुरुस्त किया जाये - का प्रमाणिकरण सन 1990 के वाद किया गया। उसी पट्टे में सुखमानदास मोंगरे एंव सास सुकरतीवाई के विलगांव एंव रमतिला की जमीन में मालिक मकबूजा की जमीन में लगे झाड़ों की मंजूरी लेकर झाड कटवा दिया, उसके जमीन से लगे दूसरे आदिवासियों को अनैतिक दवाव देकर या कुछ पैसा देकर राजीनामा कर तहसील में बयान दिलवाकर मामला दवा दिया गया। ***
- **प्रकरण में जांच के दौरान तहसीलदार विछिया वृत्त मवई को इस न्यायालय के पत्र क्रमांक अ.वि.अ./09 विछिया दिनांक 18-11-09 के माध्यम से प्र0क0 5 अ-19/89-90 एंव राजस्व प्रकरण पंजी वर्ष 1989-90 परीक्षण हेतु तलब किया गया। तहसीलदार व्दारा पत्र क्रमांक तह/09 विछिया दिनांक 22-12-09 के व्दारा अवगत कराया है कि प्रवाचक व्दारा समक्ष में बताया गया कि न्यायालय नायव तहसीलदार मवई वृत्त का प्रभार उसे किसी प्रवाचक से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रवाचक वर्ष 2000 से वृत्त मवई में कार्यरत है। अभिलेख कोष्ठ शाखा कलेक्टोरेट मण्डला में भी उक्त राजस्व प्रकरण एंव राजस्व प्रकरण पंजी (दायरा पंजी) भी जमा होना नहीं पाया गया है। ***
- **ग्राम विलगॉव प0ह0नं0 48 में सुखमनदास पि. कोसादास के नाम दर्ज भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 22 रकबा 1.27 है. नामान्तरण पंजी वर्ष 1990 नामांत्रण क्रमांक 1 में दर्ज विवरणानुसार नायव तहसीलदार मवई के प्रकरण क्रमांक 5 अ-19/89-90 के अनुसार**

नामंतरित कर दी गई। उक्त प्रकरण एंव प्रकरण पंजी अनुपलब्ध है तथा अनावेदक पक्ष व्दारा पट्टे की मूल प्रति भी पेश नहीं की गई। वर्तमान में उक्त भूमि में से सुखमनदास पि. कोसादास के नाम ख.नं. 22/1 रकबा 0.77 है. तथा सुखमनदास व्दारा भूमि विक्रय करने से ख.क्र. 22/2 रकबा 0.50 है. भूमि केता रोहनलाल कछ्वाहा व. मायाराम, अरबिन्द कुमार पि. गणेश प्रसाद अग्रवाल साकिन सकवाह के नाम पर दर्ज है। मिसल बंदोवस्त 85-86 में उक्त भूमि का ख.नं. 6/1 रकबा 1.27 है. मद घास (म0प्र0शासन) दर्ज है जो कि अनाधिकृत रूप से धारा 237 (2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के तहत बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के मद परिवर्तन के सीधे भूमिस्वामी हक में दर्ज होने से भूमिस्वामी हक से प्रथक कर पुनः घास (म0प्र0शासन) में दर्ज किया जाना उचित होगा। *

- ग्राम रमतिला प.ह.नं. 49 में बाबूलाल व. भल्लू दास के नाम पर ख.क्र. 13/2 रकबा 1.01 है. भूमि मिसल बंदोवस्त वर्ष 85/86 के अनुसार उसका ख.नं. 6/7 रकबा 1.56 है. मद आबादी (म0प्र0शासन) दर्ज है जो कि अनाधिकृत रूप से धारा 237(2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के तहत बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के मद परिवर्तन के सीधे भूमिस्वामी हक में दर्ज होने से भूमिस्वामी हक से प्रथक कर पुनः घास (म0प्र0शासन) में दर्ज किया जाना उचित होगा। *
- ग्राम रमतिला प.ह.नं. 49 में सुकरतीवाई जौ. बाबूलाल के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि ख.नं. 38/2 रकबा 0.50 है. जिसका मिसल बंदोवस्त 85/86 के अनुसार ख.नं. 48 दु. रकबा 0.13 है. मद पानी के नीचे (म0प्र0शासन) जो अनाधिकृत रूप से धारा 237 (2) म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के तहत बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के मद परिवर्तन के सीधे भूमिस्वामी हक में दर्ज होने से भूमिस्वामी हक से प्रथक कर पुनः पानी के नीचे (म0प्र0शासन) में दर्ज किया जाना उचित होगा। *

अनुविभागीय अधिकारी बिछिया ने प्रतिवेदन के पृष्ठ 4 के नीचे इस प्रकार अंकित किया है :-

- अनावेदक पक्ष को न्यायालय नायव तहसीलदार मवई तहसील मण्डला के मा.क्र. 5 अ-19/89-90 में प्रीमियम राशि 30-00 रू. निर्धारण कर ग्राम बिलगांव स्थित भूमि ख.नं. 22 रकबा 1-27 है. भूमिस्वामी हक में प्रदान किया गया, पटटे की मूल प्रति अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया , किंतु अनावेदक पक्ष व्दारा आज दिनांक तक पटटे की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। *

परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी बिछिया व्दारा आवेदक को पर्याप्त समय देने के उपरांत भी उसके व्दारा मूल अभिलेख अवलोकन के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि तहसीलदार विछिया वृत्त मवई को अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पत्र दिनांक

18-11-09 लिखकर प्र0क्र0 5 अ-19/89-90 एंव राजस्व प्रकरण पंजी वर्ष 1989-90 परीक्षण हेतु तलब किया गया, जिसके उत्तर में तहसीलदार व्दारा पत्र दिनांक 22-12-09 से अवगत कराया कि प्रवाचक व्दारा बताया गया कि न्यायालय नायव तहसीलदार मवई वृत्त का प्रभार उसे किसी प्रवाचक से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रवाचक वर्ष 2000 से वृत्त मवई में कार्यरत है। अभिलेख कोष्ठ शाखा कलेक्टोरेट मण्डला में भी उक्त राजस्व प्रकरण एंव राजस्व प्रकरण पंजी (दायरा पंजी) भी जमा होना नहीं पाया गया है। इस प्रकार अपीलांट के नाम पर वादित भूमियों का पहुंचना कूट रचना की श्रेणी का पाने से अपर कलेक्टर मण्डला ने प्रकरण क्रमांक 179/10-11 बी-121 में आदेश दिनांक 22-11-10 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही के अमल वावत् आदेश दिये हैं जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर आदेश दिनांक 30-11-2016 पारित करते समय अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 179/2010-11 बी-121 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर